दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305

वर्ष 2011–12 एवं आगे के लिये

निगम के माध्यम से

ग्राफटेड/ बीजू , क्लोन एवं टिश्यू कल्चर पौधे प्रदाय हेतु

ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011–12 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से ग्राफटेड/बीजू, क्लोन एवं टिश्यू कल्चर पौधे प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)

ऑफर पत्र प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 23.5.2011 अपरान्ह 1.00 बजे तक
पूर्ण ऑफर पत्र टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 23.5.2011 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत आफर खोलने की तिथि	लिफाफा क्र.1 दि 23.5.2011 सायं 2.30 बजे

जो आफर लिफाफा क्रमांक 1 में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मान्य होगें उनका लिफाफा क्र. 2 खोलने की जानकारी निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

दूरभाष कमांक (0755)- 2776575, 2551652, 2551756 फैक्स नम्बर 0755-2557305

वर्ष 2011–12 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से ग्राफटेड/बीजू, क्लोन एवं टिश्यू कल्चर पौधे प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)

आफर पत्र क. मुख्या/उद्यान/2010/ दिनांक ....

आफर पत्र का मूल्य रू. 500.00 प्रति आफर
रू. 550.00 (डाक द्वारा मंगवाने पर)

मेसर्स ....

से आर.सी.ओ. के मूल्य हेतु राशि रूपये .... शब्दों में ....

मनी रसीद कमांक .... दिनांक .... से प्राप्त किये गये ।

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

प्रपत्र क्रमांक–1

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011–12 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से ग्राफटेड / बीजू,क्लोन एवं टिश्यू कल्चर पौधे प्रदाय हेतु ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ) बाबत् सहमति एवं घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित आरसीओ में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम के आरसीओ में उल्लेखित शर्तो के अनुसार ग्राफटेड/ बीजू पौधे प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम आरसीओ की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा आरसीओ की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रू ....(कुल ....नर्सरियों हेतु) प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा आरसीओ की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011–12 एवं आगे के लिए निगम के माध्यम से ग्राफटेड/बीजू,क्लोन एवं टिश्यू कलचर पौधे प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट

निगम द्वारा निर्धारित ओपन एंडेड रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट में दरें आमंत्रित की जाती है, इस दस्तावेज को आरसीओ के नाम से जाना जावेगा ।

निगम द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ग्राफटेड/ बीजू, क्लोन एवं केला टिश्यू कल्चर पौधे के प्रदाय हेतु ऑफर आमंत्रित किये जाते है । ऑफर से संबंधित सामान्य शर्ते निम्नानुसार है : –

1. **आफर प्रस्तुत करने की आहर्ता** :

1.1 ग्राफटेड एवं बीजू पौधों के लिये ऑफरकर्ता, नर्सरी धारक जो निम्नानुसार शर्ते पूरी करता हो, के प्रस्ताव को ही विचार क्षेत्र में रखा जावेगा :–

(अ) ऐसे राज्य जहां पर नर्सरी एक्ट लागू है में स्थित नर्सरियों का नर्सरी एक्ट के तहत् पंजीयन होना आवश्यक है पंजीयन से संबंधित दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है ।

(ब) ऐसे राज्य जहां पर नर्सरी एक्ट लागू नहीं है में स्थित नर्सरियों हेतु संबंधित नर्सरी का विवरण, नर्सरी पर उपलब्ध मातृ वृक्ष तथा तैयार किये जा रहे पौधों का विवरण, परिशिष्ट क्र–4 अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है (स्वप्रमाणित खसरा खतौनी नर्सरी का नक्शा आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावे)।

(स) लीज की नर्सरी होने की दशा में कम से कम 5 वर्षो हेतु नर्सरी लीज पर होना आवश्यक है लीज पर ली गई नर्सरी का पंजीयन,खसरा खतौनी एव नक्शा के स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे तथा नर्सरी के पंजीयन संबंधी कागजात भी संलग्न किया जाना अनिवार्य है (लीज डीड की नोटराईज्ड प्रति राशि रू 100/– के स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है)।

(द) आफरकर्ता का पंजीयन विक्रय/वाणिज्य कर विभाग (राशि रू. 5,00,000/– से अधिक व्यवसाय होने की दशा में) में एवं आयकर विभाग में होना आवश्यक है । आयकर पंजीयन एवं वाणिज्यिक पंजीयन की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।

(इ) आफरकर्ता की प्रत्येक नर्सरी में परिशिष्ठ क्र 3 में उल्लेखानुसार न्यूनतम पौधों की संख्या उपलब्ध हो । ग्राफटेड पौधों हेतु मातृवृक्ष होना अनिवार्य है अन्यथा ग्राफटेड पौधों की दरों को विचार क्षेत्र में नहीं रखा जावेगा ।

(फ) नीबू वर्गीय पौधे यथा संतरा, मौसमी इत्यादि यदि महाराष्ट्र राज्य के आफर किये जाते है तो उक्त पौधों के संबंध में महाराष्ट्र शासन के कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा जारी डी.एन.ए. टेस्ट की रिपोर्ट भी संलग्न की जाना होगी ।

1.2 टिश्यू कल्चर /क्लोन से तैयार पौधे हेतु :

(अ) टिश्यू कल्चर लब का पंजीयन डिपार्टमेंट आफ बायोटेक्नोलॉजी (डीबीटी) केन्द्र शासन साईस एवं टेक्नालॉजी मंत्रालय में होना आवश्यक है ।

(ब) लेब से संबंधित दस्तावेज तथा वायरस टेस्ट की आदिनॉक रिपोर्ट होना चाहिये

(स) आफर किये जाने वाले टिश्यू कल्चर पौधों के मापदण्ड परिशिष्ट क्र 3 के अनुरूप होना चाहिये ।

(द) क्लोन से तैयार किये गये पौधों के संबंध में किसी शासकीय प्रयोगशाला का प्रमाण–पत्र अनिवार्य है तथा संबंधित जिले के सहायक संचालक उद्यान से तदाश्य का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाना होगा ।
उपरोक्त बिन्दु कमॉक 1.1 एवं अथवा 1.2 के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले आफरकर्ता के प्रस्ताव को ही विचार क्षेत्र में रखा जावेगा । वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रस्ताव को अमान्य किया जावेगा ।

2. आरसीओ का क्रय

2.1 (अ) निर्धारित आरसीओ दस्तावेज का मूल्य रू. 500.00 (वापसी योग्य नही) एवं डाक से मंगाये जाने पर 550.00 रूपये होगा । डाक में किसी प्रकार के विलंब की स्थिति में निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

(ब) उक्त कार्यालय के उप महाप्रबन्धक (उद्यान) के कक्ष से दिनांक 23.5.2011 अपरान्ह 1.00 बजे तक क्रय किये जा सकते है। इस अवधि के पश्चात बिन्दु क्रमांक–2 में उल्लेखानुसार भी आरसीओ दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जा सकते है।

(स) आरसीओ में भाग लेंने वाले आफरकर्ताओं को निर्धारित आरसीओ क्रय किया जाना अनिवार्य है। विधिवत रूप से आरसीओ समय पर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में आफर पर विचार नही किया जावेगा।

2.2 आरसीओ ओपन एंडेड डाक्यूमेंट है तथा दि 31.12.11 तक कोई भी आफरकर्ता अपनी दरें पृष्ठ क्र. 2 पर उल्लेखित समय सीमा के पश्चात भी प्रस्तुत कर सकते है, इसके लिये आफरकर्ता को निम्न कार्यवाहियां करना होगी :–

i. निगम के प्रबंध संचालक को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें आफरकर्ता को उपरोक्त क्र 1 में उल्लेखित आहर्ता संबंधी वैध स्व–प्रमाणित प्रति दस्तावेज शर्त क्रमांक–4 (ड) के अनुसार प्रस्तुत करने होगे।

ii. आवेदन के साथ आरसीओ डाक्यूमेंट का मूल्य रू 500.00 (डाक से मंगाने की दशा में रू 550.00) भी देय होगा ।

iii. आरसीओ डाक्यूेंट मूल्य के अतिरिक्त रू 10,000.00 (रू दस हजार मात्र) विशेष पंजीयन शुल्क (संकल्प धन राशि के अतिरिक्त) निगम के पक्ष में भोपाल देय राष्ट्रीकृत बैक के बैंक ड्राफ्ट से देय होगें यह राशि किसी भी रूप में वापसी योग्य नही होगी ।

iv. निगम के प्रबंध संचालक प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण करा कर प्राप्त आफर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगें। अस्वीकृति की दशा में उसके कारणों को संबंधित आफरकर्ता को बताया जाना आवश्यक नहीं होगा एवं पंजीयन हेतु जमा की गई राशि वापिस नहीं की जावेगी ।

v. विशेष पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत अनुमोदित आफरकर्ता शर्त क्रमांक 10 के अनुसार अनुबंध निष्पादित करेगे । आफर सामान्य प्रकिया में लाते हुये इस आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तो को मान्य करना होगा तथा संलग्न प्रारूप में अनुबंध भी करना होगा ।

3. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा प्रत्येक ग्राफटेड/बीजू पौधों हेतु प्रजातिवार पॉलीथिन एवं जूट पैकिंग अनुसार पृथक–पृथक दर परिशिष्ट क्र. 5 अनुसार दिया जाना है

(ब) ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर सभी प्रकार के व्यय सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हेतु दी जावेगी ।

(स) ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र की शर्त क्रमांक 19 के तहत् न्यूनतम होना आवश्यक है ।

(द) रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दर 31 मार्च 2012 एवं आगे के लिए निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद में हो तक लागू रहेगी।

(ड) ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है । किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में दी गयी दर को मान्य किया जावेगा ।

(इ) आर्हता संबंधी शर्त क्रमांक 1 इ के अनुसार केवल उन्हीं पौधों के लिये दरें प्रस्तुत की जाए जिनकी परिशिष्ठ 3 में उल्लेखित न्यूनतम मात्रा प्रत्येक नर्सरी में उपलब्ध हो ।

(फ) नर्सरी निरीक्षण में यदि निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में मापदण्ड के पौधे पाये जाते है तो उन पौधों के लिये प्रस्तुत दरों को मान्य नहीं किया जाएगा ।

4. <u>आफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

(अ) एक आफरकर्ता से एक ही आफर स्वीकार किया जावेगा । आफरकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामो से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी आफर अमान्य किये जायेंगे ।

(ब) टेलीग्राफ/फैक्स से प्रस्तुत ऑफर मान्य नहीं किये जावेंगे ।

(स) वित्तीय ऑफर का निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ठ क्रमांक 5 के अनुसार होना आवश्यक है एवं शर्त क्रमांक 4–(ड) के अनुसार सभी वांछित जानकारियां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में (परिशिष्ठ क्रमांक–1 एवं शर्त क्रमांक–4(ड) के आधार पर आफरकर्ता के ऑफर को निरस्त किया जावेगा।

(द) आरसीओ सभी प्रकार से पूरा भरा हुआ होना चाहिए । आरसीओ से साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि प्रति नर्सरी हेतु रू1,00,000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो ''एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' के नाम से भोपाल देय हो संलग्न होना आवश्यक है । (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में नर्सरी फलपौध के प्रदाय हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत् धरोहर राशि जमा कराई गई है एवं वर्तमान में उनकी उक्त धरोहर राशि निर्विवादित निगम में जमा है, को आरसीओ में वांछित निर्धारित धरोहर राशि के विरूद्ध समायोजित की जावेगी ऐसे प्रदायक पूर्व में जमा संकल्प धन राशि का विवरण यथा मनी रसीद क्रमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण ऑफर में प्रस्तुत करेंगे) । धरोहर राशि के आभाव में कोई भी आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा ।

(ड) ऑफर दो अलग अलग लिफाफो यथा – <u>''लिफाफा क्रमांक 1 तकनीकी विवरण''</u> तथा ''लिफाफा क्रमांक 2 वित्तीय आफर'' के रूप में प्रस्तुत किया जाना है । लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण –

1. प्रपत्र क्रमांक–1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति ।
2. ऑफरकर्ता के आयकर नम्बर एवं वाणिज्यिक कर पंजीयन (TIN) होना आवश्यक है ।
3. ऑफरकर्ता फर्म की और से आफर/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति ।
4. लीज की नर्सरी होने की दशा में लीज डीड की स्व–प्रमाणित नोटराइल्ड प्रति ।
5. स्व–प्रमाणित नर्सरी की जमीन का खसरा/खतौनी की फोटोप्रति ।

6. नर्सरी के पंजीयन की दशा में वैध पंजीयन की प्रति । यदि नर्सरी ऐसे राज्य जहां पर नर्सरी एक्ट लागू नहीं है तो शर्त क्रमांक–1 (ब) के अनुसार परिशिष्ट क्र. 4 के अनुसार नर्सरी की पूर्ण जानकारी ।
7. टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला से संबंधित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
8. क्लोन से विकसित पौधों के संबंध में शर्त क्र. 1.2 के अनुसार प्रमाण–पत्र।
9. जिन प्रदायकों द्वारा महाराष्ट्र में विकसित संतरा एवं मौसमी पौधों की दरें दी जायेंगी उन प्रदायकों को डी.एन.ए. टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की जाना अनिवार्य है ।
10. रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर डाक्युमेंट सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित ।
11. धरोहर राशि प्रति नर्सरी रूपये 1,00,000/– जमा की जाना अनिवार्य है ।
12. ऑफरकर्ता फर्म का नाम शासन/किसी बैक शासकीय उपक्रम द्वारा काली सूची में दर्ज नही है और न ही प्रदाय के लिये वंचित किया गया है और न ही किसी प्रकार का कानूनी विवाद है, इस आशय का घोषणा पत्र संलग्न प्रपत्र क्रमॉक 1 के अनुसार दिया जाना है ।

लिफाफा क्र. 1 के ऊपर स्पष्ट शब्दो में 'लिफाफा क्रमांक–1, संकल्प धन राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण ग्राफटेड/ बीजू, क्लोन एवं टिश्यू कल्चर पौधे प्रदाय हेतु आफर'' साफ साफ लिखा जावे ।

लिफाफा क्रमांक 2 में परिशिष्ट क्र. 5 के अनुसार वित्तीय आफर विधिवत हस्ताक्षर करते हुए तथा आफर दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे । लिफाफा क्रमांक 2 के ऊपर स्पष्ट शब्दो में '' लिफाफा क्रमांक 2 वित्तीय आफर ग्राफटेड/ बीजू क्लोन एवं टिश्यू कल्चर पौधे प्रदाय हेतु आफर'' लिखा जावे ।

उक्त दोनो लिफाफे आपस में बांधकर निर्धारित आफर बाक्स में नियत तिथि 23.5.2011 के अपरान्ह 2.00 बजे के पूर्व निगम के उद्यानिकी कक्ष में रखे गये टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

5. <u>आफर का खोला जाना</u>

आफरकर्ताओं द्वारा निर्धारित आफरबाक्स में दिनांक 23.5.2011 अपरान्ह 2.00 बजे तक जो आफर प्राप्त होंगे, में से लिफाफा क्रमांक 1 दिनांक 23.5.2011 को अपरान्ह 2.30 बजे एक समिति द्वारा उपस्थित ऑफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे ।

लिफाफा क्रमांक 1 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के लिफाफा क्रमांक 2 समिति के निर्णय अनुसार आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । लिफाफा क्र. 2 खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी व आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी लेने पर दी जा सकेगी ।

6. <u>सैंपल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :</u>

निगम द्वारा अधिकृत निरीक्षण दल द्वारा नर्सरी निरीक्षण के समय ही पौधों की संख्या एवं गुणवत्ता का नियमानुसार परीक्षण किया जायेगा और परीक्षण में योग्य पाये गये पौधों की सीमा तक ही पौधों का प्रदाय मान्य किया जायेगा । यदि निगम द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि आफरर्ताओं को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय भोपाल में सेम्पल प्रस्तुत किये जाने है तो योग्य आफरर्ताओं को तदनुसार पंजीकृत डाक से उनके द्वारा प्रस्तुत की गई दरों के पौधों के 3–3 सेम्पल निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत करने होगें ।

यदि आफरकर्ता द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय पर सेम्पल प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो ऐसे आफरर्ताओं की नर्सरी को निरीक्षण नही किया जाएगा एवं उनके द्वारा प्रस्तुत आफर को अमान्य कर दिया जायेगा । ऐसे आफरकर्ता जिनके आफर को अमान्य कर दिया गया है वे ओपन एंडेड प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें । सेम्पल प्रस्तुत करते समय निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी :–

(अ) प्रस्तुत किए जाने वाले सेम्पल पर पौधो का नाम, प्रजाति (बीजू/ग्राफ्टेड अंकित होना आवश्यक है) ।

(ब) तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत सेम्पलों के आधार पर जिन सेम्पलों को उचित ठहराया जायेगा के ऑफर ही मान्य किये जावेंगे, समिति का निर्णय अंतिम होगा

(स). सेम्पल प्रस्तुत न किये जाने की दशा में ऑफर मान्य नहीं किया जावेगा ।

(द) जमा किये गये सेम्पल ऑफरकर्ताओं को वापिस नहीं किये जावेंगे ।

(इ) निगम द्वारा निर्धारित तकनीकी समिति प्रस्तुत सेम्पलों को मान्य अथवा अमान्य करने के लिए स्वतंत्र रहेगी एवं निगम के प्रबंध संचालक समिति के निर्णय को मान्य करने के संबंध में किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नही है। यदि आफरकर्ता संेपल अमान्य हो जाने की दशा में समिति के निर्णय से सहमत नही है तो लिफाफा 'बी' खोले जाने के पूर्व वे निगम के प्रबन्ध संचालक को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पर निगम के प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

(फ) आफरकर्ता जिनके सेम्पल समिति द्वारा उचित नही पाये जाते है के संबंध में दी गई दर मान्य नही की जायेगी चाहे वह न्यूनतम क्यो न हो। इस संबंध में निगम के प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

7. <u>सशर्त आफर –</u>

निगम द्वारा निविदा पत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी । सशर्त आफरो को अमान्य किया जावेगा ।

8. <u>संकल्प धन राशि–</u>

संकल्प धन राशि रू 1,00,000/– होगी जिसका बैक ड्राफ्ट जो ''एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' के नाम से भोपाल देय हो संलग्न होना आवश्यक है ।

संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत आफर अमान्य किया जायेगा । ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में नर्सरी फलपौध प्रदाय हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत् जमा संकल्प धन राशि जो अनुबंध पश्चात धरोहर राशि के रूप में परिविर्तित की जा चुकी है एवं वर्तमान में उक्त धरोहर राशि निर्विवादित निगम में जमा है को उपरोक्त आवश्यक संकल्प धन राशि के विरूद्ध समायोजित करने के पश्चात शेष राशि जमा की जाना होगी । पूर्व में जमा संकल्प धन राशि का विवरण यथा मनीरसीद क्रमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण आरसीओ में प्रस्तुत करेंगे ।

संकल्प धनराशि निम्न कारणों से जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा ऑफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. ऑफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।
4. आफरकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायगी न करने अथवा निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदण्ड के पौधे प्रदाय न करने की दशा में ।
5. आफरकर्ता द्वारा निगम की निर्धारित दरों से कम दर पर पौधों की प्रदायगी करने की दशा में ।
6. प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में ।

9. <u>ऑफर की वैधता :</u>

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया है ।

10. <u>अनुबंध का निष्पादन–</u>

(अ) निगम द्वारा लिफाफा क्रमांक 2 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ता जिसका आफर निगम द्वारा मान्य किया जावेगा अथवा जिन्होने निगम द्वारा प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य कर लिया है, को निगम के साथ निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 6) अनुसार राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

(ब) निगम द्वारा जिन आफरकर्ताओं के ऑफर को मान्य किया जावेगा अथवा दरों का प्रतिप्रस्ताव दिया जाएगा व उनके द्वारा प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य कर लिया जाता है, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत सूचना दी जावेगी । यदि ऑफरकर्ता द्वारा निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम उनके ऑफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfite) करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(स) अनुबंध 31 मार्च 2012 तक अथवा निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद मे हो तक वैध रहेगा ।

11. <u>नर्सरी का निरीक्षणः–</u>

ऑफरकर्ताओं द्वारा नर्सरी के संबंध में परिशिष्ट क्रमांक–4 के अनुसार जो जानकारी दी जायेगी के प्रकाश में निगम एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति से नर्सरी का निरीक्षण करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा । निरीक्षण के दौरान प्रदायक द्वारा रिपोर्ट में दी गयी जानकारी गलत पायी जाती है या यह पाया जाता है कि प्रदायक की नर्सरी फलपौध के उत्पादन के संबंध में वांछित आधारभूत सुविधाएं यथा मातृ वृक्ष की उपलब्धता बडिंग स्टाफ हेतु अनुभवी कर्मचारी इत्यादि उपलब्ध नहीं है तो निगम ऐसे ऑफरकर्ताओं के ऑफर तत्काल निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा संकल्प धन राशि जप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

12. <u>फलपौध हेतु निर्धारित मापदण्ड</u> –

(क) ग्राफटेड/ बीजू क्लोन एवं टिश्यू कल्चरं पौधे हेतु निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट क्र. 03 में दर्शित है । निर्धारित मापदण्ड अनुसार फलपौध प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।

(ख) फलपौध मांग अनुसार पृथक–पृथक जूट/पोलीथीन पैकिंग में प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।

(ग) संतरा, नीबू एवं मौसम्बी एवं ऐसे अन्य पौधे जो बण्डल में प्रदाय किये जाते है, को प्राप्तकर्ता विभाग की मांग अनुसार निर्धारित सख्या के बण्डल में दिया जाना आवश्यक है ।

(घ) प्रदाय किये जाने वाले पौधो की जडे विधिवत मिट्टी से ढकी होना चाहिए एवं मिट्टी गीली होना चाहिए । आफरकर्ता द्वारा प्रमाणित पौधे उसी प्रजाति के हो जिस प्रजाति का उनके द्वारा आफर दिया गया था । इस हेतु प्रत्येक पौधे पर प्रजाति का टेग लगा रहना आवश्यक है ।

(च) प्रदाय किये जाने वाले पौधे प्राप्तकर्ता विभाग को जीवित अवस्था में प्राप्त होना आवश्यक है । निर्धारित मापदण्ड एवं जीवित अवस्था में प्रदायगी स्थल तक पहुचाने की समस्त जवाबदारी आफरकर्ता की होगी ।

(छ) वास्तविक रूप से सही स्थिति में प्राप्त पौधो की ही पावती संबंधित विभाग द्वारा प्रदायक को दी जावेगी एवं तदानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

(ज) पौधे जमीन से पॉलीथीन में प्रतिस्थापित किये जाने की स्थिति में पौधे का प्रतिस्थापन कम से कम एक माह पूर्व होना आवश्यक है ताकि पौधे की जडें पोलीथीन की मिट्टी में स्थापित हो सके ।

13. जिन नर्सरी धारकों द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में अपनी नर्सरी का पंजीयन कराया गया है तथा उनकी नर्सरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करती है उन नर्सरी धारकों को फल पौध प्रदाय में प्राथमिकता दी जायेगी । संबंधित नर्सरी धारक को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न किये जाने होंगें ।

13.1 जिन आफरकर्ताओं की नर्सरी राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अन्तर्गत स्थापित हुई है । यदि उन नर्सरी धारकों द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन नर्सरी धारकों को फल पौध प्रदाय में प्राथमिकता दी जायेगी

14 <u>फलपौध प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा :</u>

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा निगम आदेश के 20 दिवस के भीतर निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशानुसार निर्धारित स्थान पर फलपौध प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।

(ब) आदेशित फलपौध की संख्या के आधार पर प्रदायक द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंड के पौधे प्रदाय करना आवश्यक होगा। यदि परिवहन के दौरान कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं तो उनको स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं केवल निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदंड के पौधे की ही पावती दी जावेगी।

(स) आदेशित मात्रानुसार फलपौध निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशित निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(द) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में संबंधित कन्साइनमेंट प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा

(इ) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की सुरक्षा निधि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे ऑफरकर्ता द्वारा मान्य किया जावेगा ।

15. <u>आदेश की प्रकिया :–</u>

(अ) निगम द्वारा उद्यान विभाग/म प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद/अन्य विभागों से प्राप्त मांग एवं संबंधित विभाग द्वारा पौधों एवं नर्सरी का निरीक्षण किये जाने के उपरांत चयनित आफरकर्ताओं को आदेश जारी किये जायेंगे ।

(ब) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रदायगी की तिथि/स्थल मे प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी । प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से पौधे निर्धारित दर पर प्रदाय करने होगे । उक्तानुसार परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा ।

(स) परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी निगम की नही रहेगी । इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी ।

(द) पौधों के प्रदाय से पूर्व निरीक्षण संबंधित क्रयकर्ता विभाग द्वारा किया जायेग एवं यदि आफरकर्ता द्वारा दर्शित पौधे निरीक्षण के समय स्थल पर पाये जाने के उपरांत ही आपूर्ति आदेश दिये जायेगें ।

16. (अ) निगम द्वारा अनुबंधित प्रदायकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर राज्य के शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों को निगम के

माध्यम से ही विधिवत प्रदाय आदेश के जारी होने के उपरांत ही प्रदाय करेंगे । किसी अन्य शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय किया जाता है तो ऐसे प्रदाय के तीन दिन पूर्व निगम को जानकारी देना आवश्यक होगा जिससे निगम अपने रिकार्ड में आवश्यक पृविष्ठि कर सके तथा प्रदायक केवल उसी मात्रा में फलपौध प्रदेश के कृषकों को प्रदाय करे, जिसको प्रदाय करने के लिये वे अधिकृत है । यदि यह पाया जाता है कि प्रदायक द्वारा बिना निगम को जानकारी दिये किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्रदाय किया है तथा यह प्रदाय प्रदायक के लिये मान्य अधिकृत मात्रा से अधिक है तो निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 5 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकता है ।

(ब) बिना विधिवत निगम आदेश के प्रदायक द्वारा सीधे विभागों को प्रदायगी किये जाने की स्थिति में प्रदायक सामग्री के भुगतान/गुणवत्ता या प्रदायगी से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निगम जिम्मेदार नही रहेगा । ऐसे प्रकरणों में प्रदाय को स्वीकार करना एवं पुष्टि आदेश जारी करनें के लिये निगम के प्रबंध संचालक निर्णय लेने हेतु स्वंतत्र रहेंगे जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होकर उसे मान्य करना होगा ।

17. <u>कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार</u>

प्रदायक को आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड के पौधे निर्धारित पैकिग में निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है । निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है –

(अ) फलपौध निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने की दशा में ।

(ब) उचित/निर्धारित पैकिग न होने की दशा में ।

(स) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा । किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए जवाबदेह नही रहेगा ।

18 <u>भुगतान :–</u>

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निम्न प्रकार से भुगतान किया जावेगा :–

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार फलपौध निर्धारित स्थान पर प्रदायगी उपरांत विधिवत पावती एवं देयक प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित विभाग से निगम को राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा ।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान देयक के विरूद्ध प्रदायित फलपौध के संबंध में संबंधित विभाग से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत राशि प्राप्ति के आधार पर सामान्यतः 60 दिवस में किया जावेगा ।

19. आफरकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है । निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक आफरकर्ता द्वारा किन्हीं अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासन/शासकीय उपक्रम अथवा म.प्र. की अन्य किसी संस्था को इस निगम से अनुबंधित प्रदाय दरों से कम दर पर किसी भी स्थिति में प्रदाय नहीं कर सकेगा । यदि यह स्थिति निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली की जावेगी साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

20. आफरकर्ता द्वारा आफर के साथ विगत 3 वर्षो में निगम के माध्यम से किये गये व यवसाय अथवा अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से किये गये व्यवसाय का पूर्ण विवरण मय बैलेस शीट सहित भी संलग्न किया जाए ।

21 आफरकर्ता द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा आरसीओ को भलीभांति पढ लिया गया है एवं सभी शर्तो पर सहमत होकर उनके द्वारा आफर प्रस्तुत किया गया है ।

22 आरसीओ के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन किए जाने अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी /दस्तावेज दिए जाने की दशा में एवं इस बाबत निगम के प्रबन्ध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/स्वीकृत आफर को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि जप्त करने के अधिकारी रहेगे । प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी होगा ।

23 राज्य शासन की नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आफरकर्ता जिनके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में विशेष पंजीयन से संबंधित सर्टिफिकेट/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा एवं जो निविदा शर्तो के अनुरूप योग्य पाये जावेगे, को निर्धारित नीति अनुसार व्यवसाय में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी ।

24 प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक स्तर से कार्यवाही की जाना होगी।

25 प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के उपमहाप्रबंधक (उद्यानिकी) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा । आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

26. निगम के प्रबन्ध संचालक आरसीओ की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

उपमहाप्रबंधक (उद्यानि)

परिशिष्ठ क्रमांक 01

आफरकर्ताओं को निर्देश–

आफरकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर निम्नांकित परिस्थितियो में निरस्त किया जा सकता है –

1. आरसीओ नियमानुसार निगम से क्रय न किये जाने की दशा में ।
2. अर्हता संबंधी शर्त क्र. 1 तथा आरसीओ में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
3. आफर की शर्त क्र. 4 (द) के अनुसार धरोहर राशि जमा न किये जाने की दशा में
4. सशर्त आफर होने की दशा में ।
5. परिशिष्ट क्र. 5 के अनुसार दर प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
6. शर्त क्रमांक 4 (अ) के अनुसार एक ही आफरकर्ता द्वारा एक या अन्य नामों से एक से अधिक आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा मे ।
7. एक ही फलपौध हेतु एक से अधिक दरें आफर किए जाने की दशा में ।
8. निर्धारित समय के पश्चात् विलंब से आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में ।
9. शर्त क्र. 06 के अनुसार सेंपल प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
10. आफरकर्ता द्वारा सूचित मात्रा में पौधे निरीक्षण के दौरान न पाये जाने की दशा में ।
11. ग्राफटेड पौधों के संबंध में पर्याप्त मातृवृक्ष उपलब्ध न होने की दशा में ।
12. टिश्यू कल्चर पौधों के संबंध में टिश्यू कल्चर लैब से संबंधित वांछित दस्तावेज न होने की दशा मे ।

उपमहाप्रबन्धक(उद्यान)

निगम द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत वांछित ग्राफटेड / बीजू पौध

क्र.	फलपौध (ग्राफ्टेड/बीजू)	वांछित प्रजाति
1.	संतरा (ग्राफ्टेड)	नागपूरी, किन्नो इत्यादि
2.	मौसम्बी (ग्राफ्टेड)	न्यूसेलर, पूना इत्यादि
4.	अनार (गुटी, ग्राफ्टेड)	गणेश, अरक्ता, इत्यादि
5.	चीकू (ग्राफ्टेड)	कालीपत्ती, पी.के.एम.1, सी.ओ.1, सीओ.2, क्रिकेट बाल, इत्यादि
6.	बेर (ग्राफ्टेड)	उमरान, बनारसी, गोला इत्यादि
7.	नीबू (गूटी)	कागजी
8.	अंगूर (कटिंग)	पूसा सीडलेस, थामसन सीडलेस, गणेश, चेम्पियन, ब्लेकग्रफ इत्यादि
9	पपीता (हायब्रिड/श्रेष्ठ बीजू)	ताईवान रेड, 786, ताईवार यलो
10	आंवला (ग्राफटेड)	कंचन, चकैया, नरेन्द्र सीरीज, कृष्णा
11	आम (ग्राफटेड)	दशहरा, लंगडा, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, बाम्बे ग्रीन
12	अमरूद (ग्राफटेड)	एल–49, इलाहबादी सफेदा
13	रतनजोत बीजू	
14	महुआ	

नोटः 1. उक्तानुसार उल्लेखित प्रजातियो के अतिरिक्त आफरकर्ता मध्य प्रदेश हेतु (आवश्यक आर्हतायें) उपयुक्त अन्य ग्राफटेड पौधों के आफर दे सकते है ।

2. ग्राफटेड पौधों हेतु उन्हीं आफरकर्ताओं की दरों पर विचार किया जावेगा जिनके पास उन्ही प्रजाति के पर्याप्त मातृवृक्ष (Mother Plant) होगें । मातृवृक्ष के अभाव में ग्राफटेड पौधों की दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. प्रजातिवार मातृवृक्ष का विवरण संलग्न किया जा रहा है ।

ग्राफटेड / बीजू पौधों के मापदण्ड

क्रं.	पौध	निर्धारित मापदण्ड	प्रति नर्सरी पौधों की न्यूनतम संख्या
1	आम ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । बड यूनियन से सायन की उचाई 15 से 20 से मी एवं बड यूनियन से 10 से मी की उंचाई पर तना का औसत व्यास 1.00 से 1.25 से मी के मध्य होना अनिवार्य होगा । बड यूनियन के निचले भाग में साइड सूट से मुक्त होना चाहिये । पौधों में साइड ग्राफट, विनीयर ग्राफट के पौधे ही मान्य होगें । इनारचिंग पद्धति से ग्राफट किये गये पौधे मान्य नहीं किये जायेगें ।	50,000
2	आंवला ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । बड यूनियन से सायन की उचाई 15 से 20 से मी एवं बड यूनियन से 10 से मी की उंचाई पर तना का औसत व्यास 1.00 से 1.25 से मी के मध्य होना अनिवार्य होगा । बड यूनियन के निचले भाग में साइड सूट से मुक्त होना चाहिये । पौधों में साइड ग्राफट, विनीयर ग्राफट के पौधे ही मान्य होगें । इनारचिंग पद्धति से ग्राफट किये गये पौधे मान्य नहीं किये जायेगें ।	50,000
3	अमरूद ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित, पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2½ फिट होना चाहिये । पौधे के तने का व्यास 0.75 से 1.00 से मी ग्राफट से सायन की उुचाई 10 से 15 से मी एवं ग्राफट यूनियन से 10 से मी की उचाई पर तने का व्यास 1.00 से 1. 25 से मी एवं ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये, पौधों में साइड ग्राफट / विनीयर ग्राफट / इनार्चिंग ग्रफटिंग पोधें ही मान्य होगें ।	50,000
4.	संतरा ग्राफटेड	पौधा बीमारी रहित यथा संभव आदेश में उल्लेखित अनुसार रंगपुर लाइम रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये । पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1 से 1½ फिट होना चाहिये । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये,	25,000
5.	मौसम्बी (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित यथा संभव आदेश में उल्लेखित अनुसार रंगपुर लाइम रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये । पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1 से 1½ फिट होना चाहिये । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये । ग्राफट यूनियन के निचले भाग में साइड सूटस से मुक्त होना चाहिये,	25,000
6.	नीबू (कागजी) (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित रंगपुर लाइम रूट स्टाक पर ग्राफ्ट किया हुआ होना चाहिये । पौधे की ग्राफ्ट से उंचाई 1½ से 2 फिट होना चाहिये । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये ।	10,000
7.	बेर (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित एवं न्यूनतम 4 से 6 इंच ऊंचाई से ग्राफटिंग किया हुआ होना चाहिये । रूट स्टाक की अधिकतम मोटाई 2 से 3 से.मी. परिधि की होनी चाहिये । ग्राफ्ट के ऊपर 1½ से 2½ फिट शाखा रहित ऊंचाई आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	10,000

8.	अनार (गुटी)	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । ग्राफटिंग/गुटी पद्धिति तैयार किया गया पौधा मान्य है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	10,000
9	अंगूर (कटिंग)	बीमारी रहित 9 से 10 इंच लम्बाई की कटिंग उसमें पत्तियों सहित होना आवश्यक है । बीजू पौधा भी मान्य है ।	10,000
10	चीकू (ग्राफ्टेड)	पौधा बीमारी रहित एवं न्यूनतम 4 से 6 इंच ऊंचाई से ग्राफटिंग किया हुआ होना चाहिये । रूट स्टाक की अधिकतम मोटाई 1 ½ से 3 से.मी. परिधि की होनी चाहिये । ग्राफट के ऊपर 1½ से 2½ फिट शाखा रहित ऊंचाई आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	10,000

<u>बीजू पौधे</u>

10.	करौंदा बीजू	बीमारी रहित बीजू पौधा मान्य है । पौधे की न्यूनतम 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है ।	10,000
11.	सीताफल बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	15,000
14.	नीबू बीजू	पोधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पौधे 70 से 140 पौधों के बण्डल में अथवा मांग अनुसार पैकिंग में होना चाहिये ।	20,000
15.	अमरूद बीजू	पोधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	बांस बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	सागौन बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	बबूल बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	अमलतास बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	यूकेलिप्टस बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	करंज बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	गुलमोहर बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000

	नीम बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	सुरजना बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	ईमली बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	कटहल बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	जामुन बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	पपीता बीजू एवं श्रेष्ठ बीज, हायब्रिड	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	शीशम बीजू	पौधा बीमारी रहित 1½ से 2½ फिट शाखा रहित उंचाई का होना आवश्यक है । पालीथीन होने की दशा में पौलीथीन की साईज न्यूनतम 6X8 इंच होना चाहिये ।	25,000
	रतनजोत बीजू	पौधा 1.5 फिट से 2 फिट उचाई को होना चाहिये, पौधे की आयु न्यूनतम 6 माह होना चाहिये । पौधा स्वस्थ्य होना आवश्यक है ।	50,000

परिशिष्ट क 3

टिश्यू पौधों के मापदण्ड

क	पौधे का नाम	मापदण्ड
1	केला टिश्यू कल्चर	1. न्यूनतम उचाई 15 से 20 से मी 2. न्यूनतम 4 से 5 पत्तिया 3. पौधे की 10 से 12 सप्ताह की हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है 4. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नही होना चाहिये
2	बांस टिश्यू कल्चर	1. पौधे टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाना आवश्यश्क है । 2. उचाई 8 से 10 इंच 6 से 8 पत्तियॉ । 3. सेकंडरी हार्डनिंग किया गया हो । 4. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नही होना चाहिये 5..पौधे मे पर्याप्त हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है
3	यूकेलिप्टस / सूबबूल	1. पौधे टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाना आवश्यश्क है । 2. उचाई 10 से 12 इंच 8 से 10 पत्तियॉ होना चाहिये । 3. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नही होना चाहिये 4. पौधे मे पर्याप्त हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है
4	अनार	1. पौधे टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाना आवश्यश्क है । 2. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नही होना चाहिये 3. पौधे मे पर्याप्त हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है
5	जरबेरा	1. पौधे टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाना आवश्यश्क है । 2. उचाई 4 से 5 इंच 4 से 5 पत्तियॉ । 3. पौधे नेटपॉट में तथा फील्ड में लगाने हेतु तैयार होने चाहिये । 4. पौधे मे पर्याप्त हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है 5. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नही होना चाहिये
6	सागौन टिश्यू कल्चर	1. उचाई 1 फिट 4 से 5 पत्तियॉ, 2. पौधे मे पर्याप्त हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है 3. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नही होना चाहिये
7	गन्ना टिश्यू कल्चर	1. उचाई 4 से 5 इंच, 4 से 5 पत्तिया 2. पौधे मे पर्याप्त हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है 3. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नही होना चाहिये
8	कार्नेशन पौधा काइसेन्थम पौधा रोज पौधा टयूबरोज बल्व ग्लेडूलस, बल्व लीलियम बल्व	1. पौधे / बल्व टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाना आवश्यश्क है । 2. पौधे मे पर्याप्त हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है 3. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नही होना चाहिये
9	अन्य टिश्यू कल्चर से तैयार किये जा रहे पौधे	1. पौधे टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाना आवश्यश्क है । 2. पौधे मे पर्याप्त हार्डिनिंग की जाना आवश्यक है 3. पौधे बीमारी रहित पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रारंभ से ही कवकनाशी एवं पौध संरक्षण औषधियों का प्रयोग नही होना चाहिये

नोटः टिश्यू कल्चर से तैयार किये गये पौधे के संबंध में टिश्यू कल्चर लैब जिसका पंजीयन डिपार्टमेंट आफर बायोटेक्नालाजी केन्द्र शासन द्वारा किया गया हो, का पंजीयन प्रमाण पत्र, शासकीय प्रयोगशाला द्वारा जारी वायरस टेस्ट प्रमाण पत्र एवं संबंधित लैब के द्वारा जारी किया गया अधिकार पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दरों को विचार क्षेत्र में रखा जावेगा

परिशिष्ट क्रमांक–4

<u>रोपणी की विस्तृत जानकारी (प्रत्येक नर्सरी हेतु अलग अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए)</u>

क्र.	नर्सरी धारक का नाम एवं पता	नर्सरी का क्षेत्रफल (रकबा खसरा) सहित पंचशाला खसरे की नकल	नर्सरी में रोपित मात्र वृक्षों की जानकारी					रूट स्टाक अंतर्गत क्षेत्रफल
			मातृवृक्ष की प्रजातिवार सख्या	मातृवृक्ष रोपण वर्ष	मातृवृक्ष प्राप्ति का स्थान	मातृवृक्ष पर नाम पट्टिकाएं है अथवा नही	मातृवृक्ष का रोपण पंजी नक्शा	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

पौध प्रगुणन हेतु संलग्न कर्मचारी के प्रशिक्षण का विवरण	रोपणी पर सिचांई संसाधन	रोपणी पर तैयार किये पौधो की प्रजातिवार संख्या	विवरण योग्य उपलब्ध पौधें	रोपणी पर ग्रीन/नेटशेड की उपलब्धता	अन्य
10.	11	12	13	14	15

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

नोट : रोपणी का नक्शा एवं खसरा खतौनी की प्रति लगाई जाना आवश्यक है ।

परिशिष्ट कमांक–5

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

फलपौध प्रदाय हेतु वित्तीय आफर

1. आफरकर्ता का नाम एवं पता ....
2. दूरभाष कमांक .... मोबाईल नं. ....
3. नर्सरी का पता ....
4. नर्सरीधारक का नाम ....
5. नर्सरी का विवरण ....
क्षेत्रफल............खसरा नं. (खसरे की प्रति)

1. <u>**ग्राफटेड पौधे का वित्तीय आफर**</u>

क.	पौधों का विवरण	प्रजाति	15 जुलाई 2011 तक उपलब्ध कराई जा सकने वाली मात्र	पालीथीन बैग (साईज 6 / 8 अर्थात 48 वर्ग इन्च) पौधे की ऊचाई 1.5 से 4 फिट उंचाई	पालीथीन बैग (साईज 8 / 11 या इससे अधिक) 4 फिट से अधिक उंचाई	रिमार्क
1	आम ग्राफटेड					
2	आंवला बडेड					
3	आमरूद ग्राफटेड					
4	संतरा ग्राफटेड					
5	मौसंबी ग्राफटेड					
6	नीबू गूटी					
7	बेर ग्राफटेड					
8	अनार ग्राफटेड, गुटी					
9	चीकू ग्राफटेड					
10	अंगूर कटिंग					
11	सीताफल ग्राफटेड					
12	पपीता श्रेष्ठ हायब्रिड					

नोट : 1 ग्राफटेड पोधों की दरो में प्रजाति का स्पष्ट विवरण दर्शाया जाना आवश्यक है ।

2 ग्राफटेड पौधों के संबंध में उपलब्ध मातृवृक्ष का विवरण अलग से संलग्न किया जाना अनिवार्य है जिसमें मातृवृक्ष का रोपण वर्ष इत्यादि दिया जाना है, बिना मातृवृक्ष के ग्राफटेड पौधाों की आफर की गई दरों को विचार क्षेत्र में नही लिया जावेगा ।

3. उक्त के अतिरिक्त अन्य पौधों की दर प्रस्तुत की जाना हो तो प्रथक से प्रपत्र संलग्न करें ।

2. बीजू पौधे प्रदाय हेतु वित्तीय आफर

क.	पौधों का विवरण	प्रजाति	15 जुलाई 2011 तक उपलब्ध कराई जा सकने वाली मात्र	पालीथीन बैग (साईज 6 / 8 अर्थात 48 वर्ग इन्च) पौधे की ऊचाई 1.5 से 4 फिट उंचाई	पालीथीन बैग (साईज 8/11 या इससे अधिक) 4 फिट से अधिक उंचाई	रिमार्क
1	सीताफल बीजू					
2	बांस	सादा कटंगा				
3	सागौन बीजू					
4	बबूल बीजू सूबबूल					
5	अमलतास बीजू					
6	यूकेलिप्टस बीजू					
7	करंज बीजू					
8	गुलमोहर बीजू					
9	नीम बीजू					
10	सुरजना बीजू					
11	ईमली बीजू					
12	अमरूद बीजू					
13	नीबू बीजू					
14	कटहल बीजू					
15	करोंदा बीजू					
16	जामुन बीजू					
17	पीपल					
18	शीशम					
19	आंवला बीजू					
20	अमरूद बीजू					
21	आम बीजू					
22	रतनजोत पौधा					

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

1. उक्त के अतिरिक्त अन्य पौध की दर प्रस्तुत की जाना हो तो पृथक से प्रपत्र में संलग्न करें ।
2. बीजू पोधों की दरें केवल पोलीथिन पैकिंग की ही मान्य की जावेगी ।

3. टिश्यू कल्चर का वित्तीय आफर

क्र	पौधे का नाम	प्रजाति	15 जुलाई 2010 तक उपलब्ध कराई जा सकने वाली मात्र	निगम को प्रदाय दर रूपये प्रति पौधा सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर.डेस्टीनेशन पोलीथिन पैकिंग में	रिमार्क
1	केला टिश्यू कल्चर				
2	बांस टिश्यू कल्चर				
3	यूकेलिप्टस / सूबबूल				
4	अनार				
5	जरबेरा				
6	सागौन टिश्यू कल्चर				
7	गन्ना टिश्यू कल्चर				
8	काइसेन्थम				
9	रोज				
10	टयूबरोज				
11	ग्लेडूलस				
12	कार्नेशन				
	अन्य टिश्यू कल्चर से तैयार किये जा रहे पौधे				

नोटः टिश्यू कल्चर से तैयार किये गये पौधे के संबंध में टिश्यू कल्चर लैब जिसका पंजीयन डिपार्टमेंट आफर बायोटेक्नालाजी केन्द्र शासन द्वारा किया गया हो, का पंजीयन प्रमाण पत्र, वायरस टेस्ट प्रमाण पत्र एवं संबंधित लैब के द्वारा जारी किया गया अधिकार पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दरों को विचार क्षेत्र में रखा जावेगा ।

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

<u>परिशिष्ट क्रमांक–6</u>

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिनकी नर्सरी .... पर स्थित है की ओर से श्री .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर फलपौध प्रदाय हेतु दिनांक .... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तो को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट से अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन फलपौध हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है, का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे:

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. फलपौध के निर्धारित मापदण्ड (आर.सी.ओ. परिष्ठ क्र0 3 के अनुसार)
3. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
4. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुंध का हिस्सा रहेंगे ।

अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

1.

2.

प्रदायक

1.

2.

अनुबंध का परिशिष्ट (अ)

प्रदायक का नाम एवं पता	नर्सरी का पता
....	....
....	....
....	....
फोन नम्बर	फोन नम्बर ....
फैक्स नम्बर	फैक्स नम्बर ....
मोबाईल नं.	मोबाईल नं. ....

क	फलपौध	प्रजाति	15 जुलाई 2010 तक उपलब्ध कराई जा सकने वाली मात्र	निगम को प्रदाय दर रूपये प्रति पौधा सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ. ओ.आर.डेस्टीनेशन				रिमार्क
				पालीथीन बैग में 1.6 से 2.6 फिट उंचाई	जूट पैकिग में 1.6 से 2.6 फिट उंचाई	2.6 से 4 फिट उचाई	4 से 6.6 फिट उचाई	

प्रदायक के हस्ताक्षर
एवं सील